



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/2021/487

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

---00---

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. अशोक कुमार भारती, सहा.प्राध्यापक, शास.किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. प्रो. कंचनलता सिंह, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती राजलक्ष्मी सराफ, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. श्रीमती शांतिलता मिंज, सहा.प्राध्यापक, जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री एन.पी. त्यागी, सहा.प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय डभरा जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. श्री अश्वनी कुमार पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.जी. कला एवं विज्ञान महा. खरसिया जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. अशोक कुमार भारती, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/2021/488  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/अ.मं.बै./2021/ 1228

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/2021/487, दिनांक 26/07/2021 के द्वारा जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/अ.मं.बै./2021/ 1229 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल - [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट - [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-3-4-2/रसायन/2021/477

रायगढ़, दिनांक 26. 07.2021

### // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री बंशीधर दीवान, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. डॉ. के.के. मिश्र, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. धनेश सिंह, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. श्रीमती वंदना राठौर, सहा.प्राध्यापक, शास. डॉ. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. पी.के. सिंह, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. श्री सरोज कुमार, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री बंशीधर दीवान, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-3-4-2/रसायन/2021/478  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

सुप-कुलसचिव (अकादमी)

26/07/2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-3-4-2/रसायन /अ.मं.बै./2021/ 1230

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-3-4-2/रसायन/2021/477, दिनांक 26/07/2021 के द्वारा विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित रसायन अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 23/10/2021 को पूर्वाह्न 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. . 2-3-3-4-2/रसायन /अ.मं.बै./2021/ 1231  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-6-4-1/ वाणिज्य एवं प्रबंधन / 2021/485

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कड़िका (एक) से (पाँच) तक व प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. प्रो. के.सी. कछवाहा, सहा. प्राध्यापक, के.एम.टी. शास. कन्या महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. व्ही.एम. दाण्डेकर, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला- जाँजगीर चॉपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. प्रो. जे.पी. साहू, सहा.प्राध्यापक, डॉ. भीमराव अंबेडकर महा.पामगढ़ जिला- जाँजगीर चॉपा  
2. श्री विष्णु कुमार वर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला-जाँजगीर चॉपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. आनंद कुमार शर्मा, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. बी.के. पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास. पी.डी. महा. जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो.के.सी. कछवाहा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पु.क्र. 2-3-6-4-1/ वाणिज्य एवं प्रबंधन / 2021/486

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26/07/2021  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-6-4-1/वाणिज्य एवं प्रबंधन /अ.मं.बै./2021/ 1232

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-6-4-1/वाणिज्य एवं प्रबंधन/2021/485, दिनांक 26/07/2021 के द्वारा वाणिज्य संकाय के अंतर्गत गठित वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 20/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. . 2-3-6-4-1/वाणिज्य एवं प्रबंधन /अ.मं.बै./2021/1233 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-3-4-18/कम्प्यूटर साइंस /2021/495

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस संकाय के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| धारा 28 (2) (एक)   | 1. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (दो)   | 1. | रिक्त   |
|                    | 2. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (तीन)  | 1. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (चार)  | 1. | डॉ. विक्रान्त गुप्ता, सहा.प्राध्यापक, बटमूल आश्रम महाविद्यालय जिला-रायगढ़                 |
|                    | 2. | श्री अरुण पाण्डेय, सहा.प्राध्यापक, उत्तम मेमोरियल महाविद्यालय जिला-रायगढ़                 |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | श्री मयंक त्रिपाठी, सहा.प्राध्यापक, डॉ. भवर सिंह पोर्ते नवीन अशास.महा.घरघोड़ा जिला-रायगढ़ |
|                    | 2. | रिक्त   |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. विक्रान्त गुप्ता, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।  
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-18/कम्प्यूटर साइंस /2021/496

प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चोंपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26.07.2021  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट :- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-3-4-18/कम्प्यूटर साईस/अ.मं.बै./2021/ 1234

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-3-4-18/कम्प्यूटर साईस/2021/495, दिनांक 26/07/2021 के द्वारा कम्प्यूटर साईस संकाय के अंतर्गत गठित कम्प्यूटर साईस अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 20/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक. . 2-3-3-4-18/कम्प्यूटर साईस/अ.मं.बै./2021/ 1235 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-2-4-4 / अर्थशास्त्र / 2021 / 469

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कड़िका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. ए.के. मेहर, प्राध्यापक, शास.किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. एस.पी. भारद्वाज, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला- जाँजगीर चॉपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. जसमिन्दर सिंह विरदी, सहा.प्राध्यापक, शास. शहीद वीर नारायण महा. जोबी-बर्सा  
जिला-रायगढ़  
2. कु. इमिलियाना लकड़ा, सहा.प्राध्यापक, शास. के.एम.टी. कन्या महाविद्यालय, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. सी.बी. खूटे, सहा.प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद जिला- जाँजगीर चॉपा  
2. श्रीमती उमानादिनी जायसवाल, सहा.प्राध्यापक, शास. वेदराम महा. मालखरौदा जिला- जाँजगीर चॉपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. ए.के. मेहर, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-2-4-4 / अर्थशास्त्र / 2021 / 470

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र /अ.मं.बै./2021/ 1236

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र/2021/469 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल के बैठक दिनांक 21/10/2021 को पूर्वाह्न 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र/अ.मं.बै./2021/ 1237

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-1-4-1 / अंग्रेजी / 2021 / 459

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. सी.सी. मिश्रा, प्राध्यापक, शास.किरोडीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. श्री मनीराम बंजारे, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री बी.के. पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महानवागढ़ जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. डॉ. यू.एन. कुर्रे, सहा.प्राध्यापक, शास. क्रांति कुमार भारतीय महा. सक्ती जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. हरप्रीत कौर, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. श्रीमती हेमकुमारी पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास. पी.डी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. सी.सी. मिश्रा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।  
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-1-4-1 / अंग्रेजी / 2021 / 460

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26.07.2021  
कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-4-1/अंग्रेजी /अ.मं.बै./2021/ 1234

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-1-4-1/अंग्रेजी/2021/459 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत गठित अंग्रेजी अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 22/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-1-4-1/अंग्रेजी /अ.मं.बै./2021/ 1235  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रमारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2021 / 481

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //


--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. श्रीमती अल्का मनोहर छड़ीमली, सहा. प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. सी.पी.नंद, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती आभा बेक, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. सुश्री जीनत पैकरा, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. हसौद जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्रीमती सोफिया अम्ब्रेला, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़  
2. श्रीमती प्रमिला साहू, सहा.प्राध्यापक, शास. संत गहिरा गुरु रामेश्वर महा. लैलूंगा जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. श्रीमती अल्का मनोहर छड़ीमली, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है। अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।


आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2021 / 482  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-3-4-8/भूगोल /अ.मं.बै./2021/ 1240

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-3-4-8/भूगोल/2021/481 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित भूगोल अध्ययन मंडल के बैठक दिनांक 21/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।


कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव  
रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-3-4-8/भूगोल/ अ.मं.बै./2021/ 1241  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़चमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) . वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-1-4-3/ हिन्दी /2021/463

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कड़िका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. मीनकेतन प्रधान, प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. एम.एल. पाटले, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला- जॉजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. डी.एस. ठाकुर, सहा.प्राध्यापक, शास. महा. पामगढ़ जिला- जॉजगीर चाँपा  
2. श्री भागीरथी महिपाल, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महा. जिला- जॉजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. देवेन्द्र शुक्ला, सहा.प्राध्यापक, जवाहर लाल नेहरू महा. सक्ति जिला- जॉजगीर चाँपा  
2. श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा, सहा.प्राध्यापक, शास. लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. मीनकेतन प्रधान, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।  
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-1-4-3/ हिन्दी /2021/464  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

08. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
10. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
11. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
12. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
13. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
14. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26.07.2021  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-4-3/हिन्दी/ अ.मं.बै./2021/ 1242

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-1-4-3/हिन्दी/2021/463 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत गठित हिन्दी अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 22/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-1-4-3/हिन्दी/ अ.मं.बै./2021/ 1243  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रमारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-4-2/संस्कृत/2021/461

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- |                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| धारा 28 (2) (एक)   | 1. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (दो)   | 1. | श्रीमती उत्तरा निराला, सहा. प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महा. खरौदा जिला-जाँजगीर चॉपा    |
|                    | 2. | श्री अमितधर दुबे, सहा. प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़        |
| धारा 28 (2) (तीन)  | 1. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (चार)  | 1. | प्रो. धनेश्वरी पटेल, सहा. प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चॉपा    |
|                    | 2. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | श्री राम कुमार सिंह कंवर, सहा. प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महा. खरौदा जिला-जाँजगीर चॉपा |
|                    | 2. | रिक्त   |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्रीमती उत्तरा निराला, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।


आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-1-4-2/संस्कृत/2021/462  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

 कुलसचिव (अकादमी)

26/07/2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-4-2/संस्कृत /अ.मं.बै./2021 1244

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-1-4-2/संस्कृत/2021/461 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत गठित संस्कृत अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 22/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-1-4-2/अंग्रेजी /अ.मं.बै./2021 1245  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान /2021/473

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

### // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत गृह विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| धारा 28 (2) (एक)   | 1. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (दो)   | 1. | रिक्त   |
|                    | 2. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (तीन)  | 1. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (चार)  | 1. | श्रीमती नयनमणी गार्डिया, सहा.प्राध्यापक, शास. के.एम.टी.कन्या महा. जिला-रायगढ़ |
|                    | 2. | रिक्त   |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | रिक्त   |
|                    | 2. | रिक्त   |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्रीमती नयनमणी गार्डिया, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पु.क्र. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान/2021/474  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

कुलसचिव (अकादमी)

26.07.21



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान /अ.मं.बै./2021 / 1246

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान/2021/473 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित गृह विज्ञान अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 20/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

### कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान /अ.मं.बै./2021 / 1247  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-2-4-1/ इतिहास / 2021 / 465

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री एम.एल.धीरही, सहा.प्राध्यापक, शास. महात्मा गाँधी महा. खरसिया, जिला- रायगढ़  
2. श्री आर.के.पाण्डेय, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा.जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री एम.आर.मैत्री, सहा.प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय डभरा, जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. श्री सिकंदर कुजुर, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. डी.एन.बंजारे, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. डॉ. रंजीत बारिक, सहा.प्राध्यापक, शास.के.एम.टी.कन्या महा. जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री रमाकांत पाण्डेय, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-2-4-1/ इतिहास / 2021 / 466

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26.07.21  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-1/इतिहास /अ.मं.बै./2021 | 1248

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-2-4-1/इतिहास/2021/465 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित इतिहास अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 21/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

1. कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे,उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में,जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो,विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान,यदि कोई हो,में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-2-4-1/इतिहास /अ.मं.बै./2021 | 1249  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

  
उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-3-4-3/गणित/2021/479

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित विषय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. श्री आर. आर. साहू, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला-जाँजगीर चॉपा

2. डॉ. एस.एन. गुप्ता, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. श्री रामलखन पाण्डेय, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा, जिला-जाँजगीर चॉपा

2. डॉ. सी.एस.राठौर, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला-जाँजगीर चॉपा


धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्रीमती सुरेखा देवांगन, सहा.प्राध्यापक, शास.डॉ. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला-जाँजगीर चॉपा

2. श्री आर.जी.खूंटे, सहा.प्राध्यापक, टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चॉपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री आर.आर.साहू को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं 2-3-3-4-3/गणित/2021/480

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
26.07.2021  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-3-4-3/गणित /अ.मं.बै./2021 | 1250

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-3-4-3/गणित/2021/479 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित गणित अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 23/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

### कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे,उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में,जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो,विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान,यदि कोई हो,में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-3-4-3/गणित /अ.मं.बै./2021 | 1251

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-4-4-1/विधि/2021/483

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. आभा सिन्हा, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. रिक्त

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. भवानी प्रसाद यादव, सहा.प्राध्यापक, शास.पालूराम धनानियां वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय  
जिला-रायगढ़

2. डॉ. डी.के. मिश्रा, सहा.प्राध्यापक, एस.बी.के.पी.लॉ. महाविद्यालय जिला-रायगढ़


धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री जी.एन.सिंह, शास.टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा

2. श्री प्रदीप शर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.पी.डी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. श्रीमती आभा सिन्हा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-4-4-1/विधि/2021/484

प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
कुलसचिव (अकादमी)

26.07.2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-4-4-1/विधि/अ.मं.बै./2021/ 1252

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-4-4-1/विधि/2021/483, दिनांक 26/07/2021 के द्वारा विधि संकाय के अंतर्गत गठित विधि अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 20/10/2021 को पूर्वाह्न 11:4 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-4-4-1/विधि/अ.मं.बै./2021/ 1253  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल— [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-3-4-1 / भौतिक / 2021 / 475

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. ए.के. पाणिग्रही, प्राध्यापक, शास. किरोडीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला—रायगढ़  
2. श्रीमति रश्मि शर्मा, सहा. प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महा. जिला— जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा, सहा. प्राध्यापक, शास. डॉ. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला—जाँजगीर चाँपा  
2. श्री के.एक्का सहा. प्राध्यापक, शास. महात्मा गांधी महा. खरसिया जिला—रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री आर. पी. उपाध्याय, सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महा. हसौद जिला— जाँजगीर चाँपा  
2. श्री शशीकान्त राठौर, सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला— जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री अनिल कुमार पाणिग्रही, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-1 / भौतिक / 2021 / 476  
प्रतिलिपि:—

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला—रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-3-4-1/भौतिक शास्त्र /अ.मं.बै./2021 | 1254

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-3-4-1/भौतिक/2021/475 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित भौतिक शास्त्र अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 23/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

### कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे,उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में,जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो,विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान,यदि कोई हो,में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-3-4-1/भौतिक शास्त्र /अ.मं.बै./2021 | 1255 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रमारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान/2021/467

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. अंबिका प्रसाद वर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. डॉ. श्रीमती शालू पाहवा, सहा.प्राध्यापक, जे.एल.एन.महाविद्यालय सक्ति जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. पी.बी. बैस, प्राध्यापक, किरोडीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. सुपमा तिवारी, प्राध्यापक, के.एम.टी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. मनोहरलाल पटेल, प्राध्यापक, विष्णुचरण गुप्ता शास.महा.पुसौर जिला-रायगढ़  
2. श्री असीम बाजपेयी, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महाविद्यालय हसौद जिला जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. अंबिका प्रसाद वर्मा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान/2021/468

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
26.07.2021  
कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट :- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान /अ.मं.बै./2021 /1256

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान/2021/467 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित राजनीति विज्ञान अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 21/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान /अ.मं.बै./2021 /1257  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-3-2-4-5/ समाज शास्त्र/2021/471

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाज शास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है - विज्ञान

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री सुब्रत चौबे, सहा.प्राध्यापक, शास. पी.डी. वाणिज्य प्रबंधन एवं कला महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. कु. किरण मेहर, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री एस.एल. सोनवानी, प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बरमकेला जिला-रायगढ़  
2. डॉ. के.पी. कुर्रे, प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चोंपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ.सुशील कुमार एक्का, प्राध्यापक, शास.पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. जी.आर. भारती, सहा.प्राध्यापक, शास. वेदराम महाविद्यालय मालखरोदा जिला-जाँजगीर चोंपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री सुब्रत चौबे, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-2-4-5/ समाज शास्त्र/2021/472

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चोंपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26/07/2021  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-5/समाज शास्त्र /अ.मं.बै./2021/1253

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-2-4-5/समाज शास्त्र/2021/471 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित समाज शास्त्र अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 21/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

1. कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार


आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-2-4-5/समाज शास्त्र /अ.मं.बै./2021 /1253  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

  
उप-कुलसचिव





# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल - [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट - <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-5/प्राणीशास्त्र /2021/489

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //


—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत प्राणीशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- |                    |    |  |
|--------------------|----|--|
| धारा 28 (2) (एक)   | 1. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (दो)   | 1. | डॉ. आर.के. तम्बोली, सहा. प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. रायगढ़        |
|                    | 2. | श्रीमती रेखा कश्यप, सहा. प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जॉजगीर चाँपा |
| धारा 28 (2) (तीन)  | 1. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (चार)  | 1. | सुश्री श्वेता श्रीवास्तव, सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला- जॉजगीर चाँपा     |
|                    | 2. | श्रीमती सरला जोगी, सहा. प्राध्यापक, शास. एम.जी. महा. खरसिया जिला- रायगढ़               |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | डॉ. डी.एम. अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर. महा. जिला- जॉजगीर चाँपा            |
|                    | 2. | श्रीमती रंजना साहू, सहा. प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय धरघोड़ा जिला-रायगढ़              |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. आर.के.तम्बोली, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।  
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।


आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-10-4-5/प्राणीशास्त्र /2021/490  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
26/07/2021  
कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-5/प्राणी शास्त्र\_/अ.मं.बै./2021 | 1260

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-10-4-5/प्राणीशास्त्र/2021/489 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित प्राणीशास्त्र अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

### कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-10-4-5/प्राणी शास्त्र\_/अ.मं.बै./2021 | 1261

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रमारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-10-4-7/माइक्रोबायोलॉजी /2021/491

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. के.के.पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. रिक्त
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती प्रतिभा सिंह चंदेल, सहा.प्राध्यापक शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. रिक्त
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. रिक्त  
2. रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. के.के.पटेल, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र 2-3-10-4-7/माइक्रोबायोलॉजी /2021/492

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

26.07.2021  
कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-7/माइक्रोबायोलॉजी /अ.मं.बै./2021 /1262

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-10-4-7/माइक्रोबायोलॉजी/2021/491 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे,उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में,जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो,विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान,यदि कोई हो,में से होगा।"


संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक.2-3-10-4-7/माइक्रोबायोलॉजी /अ.मं.बै./2021 /1263 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

  
उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-3-1-4-4 / दर्शनशास्त्र / 2021 / 598

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

## // अधिसूचना //

--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

|                    |    |  |
|--------------------|----|--|
| धारा 28 (2) (एक)   | 1. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (दो)   | 1. | डॉ. डी.एस.मरावी, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-जॉजगीर चॉपा |
|                    | 2. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (तीन)  | 1. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (चार)  | 1. | रिक्त  |
|                    | 2. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | रिक्त  |
|                    | 2. | रिक्त  |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.डी.एस.मरावी, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-1-4-4 / दर्शनशास्त्र / 2021 / 599

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

4/07/08/2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट :- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-1-4-4/दर्शन शास्त्र /अ.मं.बै./2021 | 1264

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-1-4-4/दर्शनशास्त्र/2021/598 दिनांक 26/07/2021 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत गठित दर्शनशास्त्र अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 22/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

### कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-1-4-4/दर्शनशास्त्र /अ.मं.बै./2021 | 1265

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रमारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक अका./अध्ययन मं./इलेक्ट्रानिक्स /2021/608

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

### // अधिसूचना //

—00—

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार में संचालित **इलेक्ट्रानिक्स** विषय के अध्ययन मण्डल के कार्यों को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तदर्थ अध्ययन मण्डल का गठन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त या अधिकतम 03 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए किया जाता है।

01. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल भौतिकी शास्त्र इस अध्ययन मण्डल के पदेन सयोजक होंगे।
02. डॉ.एच.एस.तिवारी, सह. प्राध्यापक भौतिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर सदस्य होंगे।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. अका./अध्ययन मं./इलेक्ट्रानिक्स /2021/609

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

प्रतिलिपि:-

03. माननीय कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
05. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
07. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
08. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
09. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

07/08/2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. अका./अध्ययन मं./इलेक्ट्रानिक्स/अ.मं.बै./2021 /1266

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक अका./अध्ययन मं./इलेक्ट्रानिक्स/2021/608 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 23/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. अका./अध्ययन मं./इलेक्ट्रानिक्स/अ.मं.बै./2021 /1267

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक अका./अध्ययन मं./इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री/2021/612

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

### // अधिसूचना //

--00--

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार में संचालित इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री विषय के लिये अध्ययन मण्डल के कार्यों को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तदर्थ अध्ययन मण्डल का गठन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त या अधिकतम 03 वर्ष जो भी पहले हो के लिए किया जाता है।

01. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल रसायन शास्त्र इस अध्ययन मण्डल के पदेन सयोजक होंगे।
02. डॉ.एस.एस.ठाकुर, सहा.प्राध्यापक (केमेस्ट्री विभाग), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय विलासपुर सदस्य होंगे।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. अका./अध्ययन मं./इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री/2021/613  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

03. माननीय कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
05. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
07. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
08. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉर्जगीर चॉपा को सूचनार्थ।
09. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. अका./अध्ययन मं./इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री/अ.मं.बै./2021 | 1268 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक अका./अध्ययन मं./ इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री /2021/612 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 23/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. अका./अध्ययन मं./इण्डस्ट्रियल केमेस्ट्री/अ.मं.बै./2021 | 1268 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक अका./अध्ययन मं./योग विज्ञान / 2021/306

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

## // अधिसूचना //

—00—

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार में संचालित योग विज्ञान विषय के अध्ययन मण्डल के कार्यों को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तदर्थ अध्ययन मण्डल का गठन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त या अधिकतम 03 वर्ष जो भी पहले हों, के लिए किया जाता है।

01. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल शिक्षा इस अध्ययन मण्डल के पदेन सयोजक होंगे।
02. डॉ. एम.एस.ढपोला, सहा. प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर सदस्य होंगे।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

पृ.क्रं. अका./अध्ययन मं./योग विज्ञान / 2021/607  
प्रतिलिपि:—

03. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
05. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
07. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
08. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जौजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
09. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

07/08/2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. अका./अध्ययन मं./योग विज्ञान/अ.मं.बै./2021 /1270

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक अका./अध्ययन मं./ योग विज्ञान /2021/606 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा शिक्षा संकाय के अंतर्गत गठित योग विज्ञान अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल मे दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे,उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में,जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो,विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान,यदि कोई हो,में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पू. क्रमांक. अका./अध्ययन मं./योग विज्ञान/अ.मं.बै./2021 /127) रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक अका./अध्ययन मं./संगीत /2021/610

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

### // अधिसूचना //

—00—

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार में संचालित संगीत विषय के अध्ययन मण्डल के कार्यों को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तदर्थ अध्ययन मण्डल का गठन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त या अधिकतम 03 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए किया जाता है।

01. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी इस अध्ययन मण्डल के पदेन सयोजक होंगे।
02. डॉ.लिकेश्वर वर्मा, सहा. प्राध्यापक, संगीत विभाग, आई.के.एस.वी.वी.सदस्य होंगे।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. अका./अध्ययन मं./ संगीत /2021/611

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

प्रतिलिपि:-

03. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
05. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
06. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
07. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
08. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर घोंपा को सूचनार्थ।
09. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

07/08/2021

उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. अका./अध्ययन मं./संगीत/अ.मं.बै./2021 | 1272

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक अका./अध्ययन मं./संगीत/2021/610 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा कला संकाय के अंतर्गत गठित संगीत अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 22/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. अका./अध्ययन मं./संगीत/अ.मं.बै./2021 | 1273  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़समरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-3-1-1-1 / शिक्षा / 2021 / 602

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शिक्षा विषय के अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. निर्मल कुमार वर्मा, सहा.प्राध्यापक, राहौद शिक्षण समिति, राहौद जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. डॉ. एस. के. सिंह, सहा.प्राध्यापक, कोणार्क शिक्षा महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री शिवशंकर गुरुद्वान, सहा.प्राध्यापक, लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा महाविद्यालय बलोदा जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. श्री बी.पी.कौशिक, सहा.प्राध्यापक, महन्त लालदास शिक्षा महाविद्यालय शिवरीनरायण जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्रीमती गीता होता, सहा.प्राध्यापक, चैतन्य कॉलेज पामगढ़ जिला-जाँजगीर चाँपा  
2. श्री तेजराम नायक, सहा.प्राध्यापक, जानकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्नुधरा जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. निर्मल कुमार वर्मा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-1-1-1 / शिक्षा / 2021 / 603

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-1-1/शिक्षा /अ.मं.बै./2021 | 1274

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-1-1-1/शिक्षा/2021/602 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा शिक्षा संकाय के अंतर्गत गठित शिक्षा अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 2-3-1-1-1/शिक्षा /अ.मं.बै./2021 | 1275  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव





# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-3-10-4-9 / पर्यावरण / 2021 / 604

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021


## // अधिसूचना //

—00—

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार में संचालित पर्यावरण विषय के लिये अध्ययन मण्डल के कार्यो को निष्पादित करने के लिए निम्नानुसार तदर्थ अध्ययन मण्डल का गठन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त या अधिकतम 03 वर्ष जो भी पहले हो के लिए किया जाता है।

01. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वनस्पति शास्त्र इस अध्ययन मण्डल के पदेन संयोजक होंगे।
02. डॉ. गरिमा तिवारी, सहा.प्राध्यापक (फारेस्ट्री विभाग), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर सदस्य होंगी।


आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-10-4-9 / पर्यावरण / 2021 / 605  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

08. माननीय कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
10. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
11. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
12. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
13. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
14. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
उप-कुलसचिव (अकादमी)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई - मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-9/पर्यावरण /अ.मं.बै./2021 | 1276

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-10-4-9/पर्यावरण/2021/604 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित पर्यावरण अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे,उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में,जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो,विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान,यदि कोई हो,में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक.2-3-10-4-9/समाज शास्त्र /अ.मं.बै./2021 | 1277 रायगढ़, दिनांक 08.10.2021  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव



## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-3-2-4-6 / मनोविज्ञान / 2021 / 600

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

### // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- |                    |    |  |
|--------------------|----|--|
| धारा 28 (2) (एक)   | 1. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (दो)   | 1. | डॉ. शारदा घोघरे, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़ |
|                    | 2. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (तीन)  | 1. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (चार)  | 1. | रिक्त  |
|                    | 2. | रिक्त  |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | डॉ. दिनेश कोसले, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़ |
|                    | 2. | रिक्त  |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. शारदा घोघरे, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-2-4-6 / मनोविज्ञान / 2021 / 601

रायगढ़, दिनांक 07.08.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

07/08/2021



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल:- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-6/मनोविज्ञान /अ.मं.बै./2021 | 1279

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

## बैठक सूचना

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (28)(दो) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-3-2-4-6/मनोविज्ञान/2021/600 दिनांक 07/08/2021 के द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत गठित मनोविज्ञान अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 21/10/2021 को पूर्वान्ह 11:45 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित होगी।

सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

कार्यसूची :-

1. अध्ययन मंडल के अंतर्गत निर्धारित विषयों (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा) के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2)(सात) के अंतर्गत अध्ययन मंडल में दो सदस्य निम्नानुसार प्रावधान के अंतर्गत सहयोजित करने पर विचार करना।

प्रावधान :- "दो सदस्य जो बोर्ड के द्वारा समायोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा प्राप्त संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा।"

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 08.10.2021

पृ. क्रमांक. 2-3-2-4-6/मनोविज्ञान /अ.मं.बै./2021 | 1279  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सदस्य, अध्ययन मंडल को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि आप संबंधित विषयों के वर्तमान में प्रचलित स्नातक/स्नातकोत्तर / डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, अकादमी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव